

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

-::आदेश::-

क्रमांक ३२१/दो-११-२३/२०१८

नर्मदापुरम, दिनांक १७.०३.२०२५

श्री हाकम सिंह, बथरी भृत्य, नजारत अनुभाग, नर्मदापुरम का दिनांक २३.०३.२०२६ से २६.०३.२०२६ तक कुल ०४ दिवस का अर्जित अवकाश, सार्वजनिक अवकाश के लाभ सहित दिनांक १९.०३.२०२६ से २७.०३.२०२६ तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश स्वीकृति पश्चात् आवेदक के अर्जित अवकाश लेखे में २३७ दिवस का स्वत्व शेष है।

- १- अवकाश अवधि में धारित पद रिक्त रहेगा।
- २- अवकाश अवधि मूलभूत नियम २६ (बी) (दो) के तहत प्रमाणित की जाती है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)

पृ०क० १२७४/दो-११-८/१०

नर्मदापुरम, दिनांक १७.०३.२०२६

यथाआदेश प्रतिलिपि:-

- ०१ प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं श्री हाकम सिंह, बथरी भृत्य, को सूचित कराये जाने हेतु प्रेषित है।
०२. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

जिला रजिस्ट्रार
सिविल कोर्ट नर्मदापुरम, (म.प्र.)